न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/सीलिंग/2304/2003/गंगानगर

राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

.....अपीलार्थी

बनाम

रविन्द्र कुमार पुत्र लभूराम – **मृतक (जरिये कायममुकाम)**

1/1. श्रीमती सुलक्षणा गुप्ता पत्नि स्वर्गीय रविन्द्र कुमार निवासी चक नं. 1 ई छोटी एचएच फार्म श्रीगंगानगर

1/2. हेमानी पुत्री स्वर्गीय रविन्द्र कुमार डीसी मकान एमआर मकान नम्बर 84 हरिश गुप्ता बिदर – कर्नाटक

1/3. हेमन्त गुप्ता पुत्र रविन्द्र कुमार चक नम्बर 1 ईछोटी एचएच फार्म श्रीगंगानगर

.....रेस्पोडेंट्स

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–
श्री लोकेन्द्र सिंह, उप राजकीय अधिवक्ता, सरकार
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।

निर्णय

दिनांकः– 19–12–2019

यह अपील राजस्थान राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 (संक्षेप में एतद्पश्चात् 'अधिनियम 1973') की धारा 23 (2) ए के अंतर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 14–09–1984 (प्रकरण संख्या 21/1978) के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारणों को युक्तियुक्त कारण मानकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब

को क्षमा किया जाता है। अतः उक्त अपील का गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझते हैं।

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी के विरूद्ध राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के द्वारा प्राधिकारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गंगानगर के न्यायालय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई और प्राधिकारी अधिकारी के पास निर्धारित तिथि को सीलिंग से कम भूमि मानकर कार्यवाही समाप्ति का आदेश दिनांक 22–10–1975 को पारित कर दिया। कालान्तर में जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने उक्त निर्णय की जानकारी में लाने पर नये सीलिंग अधिनियम की धारा 15 (1) के तहत प्रकरण को रि–ओपर कर कार्यवाही सम्पादित की व पक्षकारों को नोटिस जारी कर सुनवाई करते हुए दिनांक 02–05–1978 को अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को अधिकृत करते हए प्रकरण को रि–ओपन करने का आदेश देते हुए नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण को अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को प्रेषित कर दी। पत्रावली प्राप्त होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर ने विपक्षी को नोटिस जारी किया तथा अपने निर्णय दिनांक 14–09–1984 को विपक्षी के धारण में सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं मानकर कार्यवाही को समाप्त करने की आज्ञा जारी कर दी। तत्पश्चात राज्य सरकार ने उक्त आदेश के विरूद्ध नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त कार्यवाही में राज्य सरकार की आपत्ति के मद्देनजर विपक्षी के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर मामले को गुणावगुण पर निर्धारित किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 15–02–2002 के विरूद्ध विपक्षी ने एक रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की। उक्त रिट याचिका में माननीय न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर आदेश दिनांक 15–01–2003 पारित करते हुए स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर की कार्यवाही को अपास्त कर दिया। कालान्तर में पैनल लायर ने अपनी राय दिनांक 20–01–2003 के द्वारा जिला कलक्टर श्रीगंगानगर एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को प्रेषित कर व्यक्त किया गया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 14–09–1984 के विरूद्ध धारा 23 (2)–ए नये सीलिंग कानून अधिनियम 1973 के तहत राजस्व मण्डल अजमेंर के समक्ष अपील पेश

की जावे। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने हस्तगत अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

4. हमनें विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी।

5. विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि निर्धारित तिथि को तहसील की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 01-04-1966 को भूमिधारी के पास 146-11 बीघा भूमि थी तथा उसके द्वारा उक्त भूमि में से 51 बीघा भूमि जरिये डिक्री दिनांक 04-07-1969 अपनी माता के नाम होने बाबत बताया तथा अपनी बहस पुष्पा सिंघल को जरिये दान पत्र रकबा 45-11 बीघा हस्तानान्तरित कर दी। यह दोनों हस्तान्तरण बेनामी थे तथा सम्पूर्ण रकबे पर अप्रार्थी ही कब्जा था और सीलिंग प्रावधानों से बचने के लिए ऐसे अन्तरण किए गए है। उनका आगे कहना है कि सीलिंग प्रकरण का निस्तारण करते समय उक्त भूमि को विपक्षी की भूमि के साथ जोडकर निर्णय प्रदान करना चाहिए था, किन्तु अतिरिक्त जिला कलक्टर ने उसे सम्मिलित नहीं कर यह मानकर कि उक्त हस्तान्तरण दिनांक 26-09-1970 से पूर्व के है, इसलिए धारा 6 के तहत इनकी वैधता को नहीं देखा जा सकता है को अधिरोपित करते हुए निर्णय पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु को नहीं माना नये सीलिंग कानून के तहत प्रकरण का निस्तारण करते समय न्यायालय का यह कर्तव्य था कि धारा 4 (1) के द्वितीय परन्तुक के तहत पुराने सीलिंग कानून के प्रावधान को लागू कर सीलिंग सीमा का निर्धारण करना चाहिए था। उन्होंने नये सीलिंग कानून के प्रावधानों के अनुरूप प्रकरण का परीक्षण नहीं किया है। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने से पूर्व विपक्षी द्वारा धारिज की जाने वाली भूमि के बाबत सही प्रकार से गणना नहीं की है तथा पटवारी हल्का के द्वारा अपनी रिपोर्ट जो कि आधार तिथि को 149-17 बीघा भूमि होना उद्धरित किया गया तथा

तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में निर्धारित तिथि दिनांक 01–04–1966 को 146–11 बीघा व दिनांक 01–01–1973 को 50 बीघा भूमि होना बताया तथा इसी रिपोर्ट में तहसीलदार ने उद्धरित किया कि विद्यादेवी भूमिधारी की माता है जिसका देहान्त वर्ष 1971 को हो गया था, इसलिए माता के द्वारा धारित हिस्सा भी विरासत में विपक्षी को प्राप्त हो चुका था। उनका आगे तर्क है कि अप्रार्थी के द्वारा जो डिक्री माता के पक्ष में बताई जा रही है उस डिक्री का किसी प्रकार का विवेचन व विश्लेषण नहीं किया तथा अपनी बहन के पक्ष में जो दान पत्र निष्पादित किया, वह कानूनन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, क्योंकि यह बयनामे बेनामी थे और आराजी पर भौतिक कब्जा अप्रार्थी का था तथा आक्षेपित निर्णय पारित करते समय प्रश्नगत रकबे की सिंचाई क्षमता 60 प्रतिशत मानी है जबकि सिंचाई विभाग के अनुसार औसत क्षमता 70–5 प्रतिशत है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आलोच्य आदेश दिनांक 14–09–1984 को अपास्त किए जाने की प्रार्थना की है।

6. हमनें विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत समग्र रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया।

7. प्रकरण के गुणावगुण पर परीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि निर्धारित तिथि को तहसील की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 01–04–1966 को भूमिधारी के पास 146–11 बीघा भूमि थी तथा उसके द्वारा उक्त भूमि में से 51 बीघा भूमि जरिये डिक्री दिनांक 04–07–1969 अपनी माता के नाम होने कथित किया तथा अपनी बहस पुष्पा सिंघल को जरिये दान पत्र रकबा 45–11 बीघा हस्तानान्तरित की है। यह दोनों हस्तान्तरण बेनामी थे तथा सम्पूर्ण रकबे पर अप्रार्थी ही कब्जा था और सीलिंग प्रावधानों से बचने के लिए ऐसे अन्तरण किया जाना प्रतीत होता है। सीलिंग प्रकरण का निस्तारण करते समय उक्त भूमि को विपक्षी की भूमि के साथ जोडकर निर्णय प्रदान करना चाहिए था, किन्तु अतिरिक्त जिला कलक्टर ने उसे सम्मिलित नहीं कर यह मानकर कि उक्त हस्तान्तरण दिनांक 26–09–1970 से पूर्व के है, इसलिए धारा 6 के

तहत इनकी वैधता का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु को नहीं माना कि नये सीलिंग कानून के तहत प्रकरण का निस्तारण करते समय न्यायालय का यह कर्तव्य था कि धारा 4 (1) के द्वितीय परन्तुक के तहत पुराने सीलिंग कानून के प्रावधान को लागू कर सीलिंग सीमा का निर्धारण करना चाहिए था। उन्होंने नये सीलिंग कानून के प्रावधानों के अनुरूप प्रकरण का परीक्षण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने से पूर्व विपक्षी द्वारा धारित की जाने वाली भूमि के बाबत सही प्रकार से गणना नहीं की है तथा पटवारी हल्का के द्वारा अपनी रिपोर्ट जो कि आधार तिथि को भूमिधारी के अधीन 149-17 बीघा भूमि होना उद्धरित किया गया तथा तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में निर्धारित तिथि दिनांक 01-04-1966 को 146-11 बीघा व दिनांक 01-01-1973 को 50 बीघा भूमि होना बताया तथा इसी रिपोर्ट में तहसीलदार ने उद्धरित किया कि विद्यादेवी भूमिधारी की माता है जिसका देहान्त वर्ष 1971 को हो गया था, इसलिए माता के द्वारा धारित हिस्सा भी विरासत में विपक्षी को प्राप्त हो चुका था। अप्रार्थी के द्वारा जो डिक्री माता के पक्ष में बताई जा रही है उस डिक्री का किसी प्रकार का विवेचन व विश्लेषण अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया तथा अपनी बहन के पक्ष में जो दान पत्र निष्पादित किया, वह कानूनन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, क्योंकि यह बयनामे बेनामी थे और आराजी पर भौतिक रूप से कब्जा अप्रार्थी का ही था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करते समय प्रश्नगत रकबे की सिंचाई क्षमता 60 प्रतिशत निर्धारित की है जबकि सिंचाई विभाग के अनुसार औसत क्षमता 70.5 प्रतिशत है।

8. अतः उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नांकित तथ्यों को ध्यान में नहीं लाया गया हैः-

1. अप्रार्थी द्वारा जो 51-00 बीघा भूमि अपनी माता को जरिये डिक्री उपजिलाधीश दिनांक 04-07-1969 को देने के संबंध में जो मान्यता दी गई है उसके परीक्षण से स्पष्ट होता है कि डिक्री में रकबा अप्रार्थी को अपनी माता से प्राप्त हुआ है न कि अप्रार्थी ने अपनी माता को दिया है। इस प्रकरण का उनवान रविन्द्र कुमार बनाम विद्यादेवी है, इस प्रकार 51-00 बीघा भूमि विभाजन को न्यायालय ने जो सीलिंग प्रावधानों के विपरीत मान्यता दी है वह अन्तरण मान्य नहीं है। इसलिए रेकार्ड पर दिखने वाली त्रुटि है।

2. अप्रार्थी द्वारा 45-11 बीघा भूमि जरिये गिफ्ट डीड दिनांक 14-05-1968 को अपनी बहन पुष्पा को हस्तान्तरण किया है, जिसके नाम की कोई गिरदावरी या मांग पत्र आदि नहीं है तथा हस्तान्तरण अपने ही परिवार में केवल सीलिंग सीमा से भूमि को बचाने के लिए किया गया है, अतः त्रुटिकारित है।

3. प्रश्नगत सिंचाई क्षमता 60 प्रतिशत निर्धारित की है जबकि सिंचाई विभाग के अनुसार औसत क्षमता 70.5 प्रतिशत है।

9. उपरोक्त सम्यक विवेचन के फलस्वरूप मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय उपलब्ध रेकार्ड तथा विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किए जाने के कारण उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। तदनुसार प्रस्तुत अपील में विधि का उपचार उपलब्ध होने के कारण इसे आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. परिणामतः प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14-09-1984 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि न्यायालय मामले में ऊपर किए गए सम्प्रेषण के मद्देनजर उभयपक्ष की बहस तथा उपलब्ध रेकार्ड का विधिनुसार परीक्षण कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य